

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 114

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02249

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अटलांटिस", प्रमोटर-एम. आहूजा प्रोजेक्ट इंडिया प्रा.लि.,
द्वारा-श्री महेन्द्र आहूजा, पता-साई कुंज, सिविल लाईन, जिला-रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"अटलांटिस" पता-तेलीबांधा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
05/08/2024	<p>– प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>– भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "अटलांटिस" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA270618000354 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 27.06.2018 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 31.05.2019 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा-59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 15.02.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>– प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन मार्च, 2024 तक प्रोजेक्ट को 99 प्रतिशत विकसित किया गया है एवं वार्षिक विवरण रिपोर्ट वर्ष 2021-2022 प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 114

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02249

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अटलांटिस", प्रमोटर-एम. आहूजा प्रोजेक्ट इंडिया प्रा.लि.,
द्वारा-श्री महेन्द्र आहूजा, पता-साई कुंज, सिविल लाईन, जिला-रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"अटलांटिस" पता-तेलीबांधा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	